विभाग का नाम :– आबकारी
विभाग का पता :– एल ब्लाक विकास भवन, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या:– 22
दिनांक :– 09.08.2017
प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री गिरीष सोनी
क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
क) क्या शराब की दुकानें विद्यालयों के पास खोली जा सकती है,	दूरी के बाबत शराब की दुकानें नियम 51(1), दिल्ली आबकारी नियम,2010, के अन्तर्गत खोली जाती हैं। **नियम 51. लाइसेंसीकृत परिसरों से सम्बद्ध शर्तें**
ख) शिक्षा संस्थानों के पास शराब की दुकानें खोलने के लिए क्या मानदंड हैं,	(1) भारतीय शराब, विदेशी शराब या देसी शराब की कोई खुदरा दुकान निम्नांकित के एक सौ मीटर के दायरे में नही होगी:– (क) प्रमुख शैक्षिक संस्थान, (ख) धार्मिक स्थल, (ग) 50 और उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल: परन्तु, खंड (ग) में वर्णित शर्त परिसर "पर" शराब के सेवन संबंधी खुदरा दुकान पर लागू नहीं होगी: परन्तु, यह और भी कि सौ मीटर की शर्त उन लाइसेंसों पर लागू होगी जो इन नियमों के प्रवृत होने के बाद प्रदान किए जायेंगे: परन्तु, अगर कोई प्रमुख शैक्षिक संस्थान, धार्मिक स्थल अथवा 50 या इससे अधिक बिस्तर वाला अस्पताल भारतीय शराब, विदेशी शराब या देसी शराब की खुदरा दुकान की स्थापना के बाद अस्तित्व में आयेगा, तो उपरोक्त दूरी संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। *स्पष्टीकरण 1 :* उपरोक्त खंड (क) के प्रयोजन के लिए प्रमुख शैक्षिक संस्थानों से अभिप्राय: है मिडॅल और हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान। *स्पष्टीकरण 2 :* उपरोक्त खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, एक धार्मिक स्थान से निहितार्थ है 400 वर्ग फुट से अधिक आच्छादित क्षेत्र वाला पक्का ढांचा।

Bhawan, New Delhi-2

	स्पष्टीकरण 3 : दूरी के नाम का अर्थ है लाइसेंस के लिए प्रस्तावित परिसर के वास्तविक मुख्य प्रवेश/द्वार के मध्य बिन्दु से उपरोक्त खंड (क), (ख) और (ग) में वर्णित भवन या स्थलों के वास्तविक मुख्य द्वार/प्रवेश मार्ग के मध्य बिन्दु तक की पारणीय दूरी।
ग) क्या सर्वोदय कन्या विद्यालय नं.2, मादीपुर के समीप खोली गई शराब की दुकान इन मानदंडों को पूरा करती हैं,	जी हॉ।
घ) यदि नहीं, तो इसे इस स्थान पर कार्य करने के लिए किस आधार पर लाइसेंस दिया गया?	उपरोक्त (ग) के अनुसार लागू नहीं।

Commissioner Excise, Entt. & Luxury Tax, Vikas Bhawan, New Delhi-2

तारांकित प्रश्न संख्या:– 22
दिनांक :– 09.08.2017
प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री गिरीष सोनी

पूरक सामग्री

दिल्ली आबकारी नियम,2010 के नियम 51(1) के अनुसार विभिन्न प्रकार की शराब की दुकान निम्नाकित के 100 मीटर के दायरे मे नही होगी:–

क) प्रमुख शैक्षिक संस्थान
ख) धार्मिक स्थल
ग) 50 या उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल

<u>क के प्रयोजन के लिए</u>
प्रमुख शैक्षिक संस्थान से अभिप्राय है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मिडिल व हायर सैकण्डरी विधालय, कॉलिज तथा अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान

अनुलग्नक

1. प्रश्न सख्ंया 22 (ग) के संदर्भ मे आबकारी टीम की निरीक्षण रिर्पोट

INSPECTION REPORT OF SITE INSPECTION IN R/O PROPOSED L-10(OLD L-56) M/s.Goldenline Developers(Pvt.)Ltd.,Shop no.GF-28,Capitol City Mall, Plot no.1,BG-01&BG-02,Paschimpuri,New Delhi.

1.	DATE OF INSPECTION	30.09.2013 Order no.F.L-10/(137)/IMFL/Ex/2012-13/1681 dt.23.09.2013
2.	INSPECTION VENUE (ADDRESS OF SHOP INSPECTED)	M/s.Goldenline Developers(Pvt.)Ltd.,Shop no.GF-28,Capitol City Mall,Plot no.1,BG-01&BG-02,Paschimpuri,New Delhi
3.	FLOOR AT WHICH SHOP IS LOCATED	GROUND FLOOR
4.	NUMBER OF SHOPS IN THE SHOPPING MALL	Approx 130 shops.
5.	NUMBER OF FLOORS IN SHOPPING MALL	four floors including ground floor+(-1 basement parking)
6.	WHETHER THE APPLICANT IS IN PHYSICAL POSSESSION OF THE SHOP	Yes
7.	WHETHER SHOPS IN THE SHOPPING MALL ARE CONNECTED BY INTERCONNECTED WALK WAYS	Yes
8.	WHETHER THE SHOPPING MALL IS CENTRALLY AIR CONDITIONED	Yes.
9.	WHETHER THE SHOPPING MALL IS LOCATED AT COMMERCIAL PLOT APPROVED BY LOCAL BODIES INCLUDING DDA/MCD/NDMC	Yes
10.	WHETHER THE SHOPPING MALL HAS ATRIUM OR FOYER	Yes, both Atrium and Foyer
11.	WHETHER THE SHOPPING MALL HAS THE PARKING FACILITY	Yes, on ground floor and (-1) basement parking.
12.	WHETHER THE PROPOSED SHOP IS A PUCCA STRUCTURE	Yes
13.	CARPET AREA OF THE PROPOSED PREMISES	1045 sq.feet

30-09-13 30/9/13

14.	WHETHER THE SHOP CONFIRMS TO RULE 51(1) OF DELHI EXCISE RULES, 2010	Yes
15.	WHETHER THE SHOP CONFORMS TO THE RULE 51(9) OF DELHI EXCISE RULES, 2010	Yes
16.	LIST OF FACILITIES AVAILABLE IN SHOPPING MALL (Brochure, if any, to be obtained from the Mall Management)	1.Parking facility. 2.lifts. 3.Escalators. 4.toilets etc.[Brochure attached]
17.	ANY OTHER INFORMATION	The proposed premises for L-10 vend is situated inside the Shopping Mall and has its connectivity from inside the shopping Mall(Rough Sketch of proposed premises and Brochure of Shopping Mall are enclosed)
18.	OBSERVATIONS OF THE INSPECTING TEAM	The proposed L-10 vend is as per provisions of Delhi Excise Act, 2009 and Delhi Excise Rules, 2010.Hence proposed premises is recommended for grant of L-10 license.
19.	LIST OF DOCUMENTS OBTAINED FROM THE APPLICANT	1. Brochure of Shopping Mall.

30-09-13

(AMIT DABAS)
EXCISE-INSPECTOR

30/9/13

(JAGJIT SINGH)
EXCISE INSPECTOR

30/9/13

(S.N.SAH)
ASSISTANT COMMISSIONER (EXCISE)

74

A sketch in r/o proposed L-10 liquor shop of M/s Goldcrest Developers (Pvt.) and proposed F-28, Capital City Mall, Plot no 1, BG-01 & BG-02 Paschim Puri Delhi. 9(14)

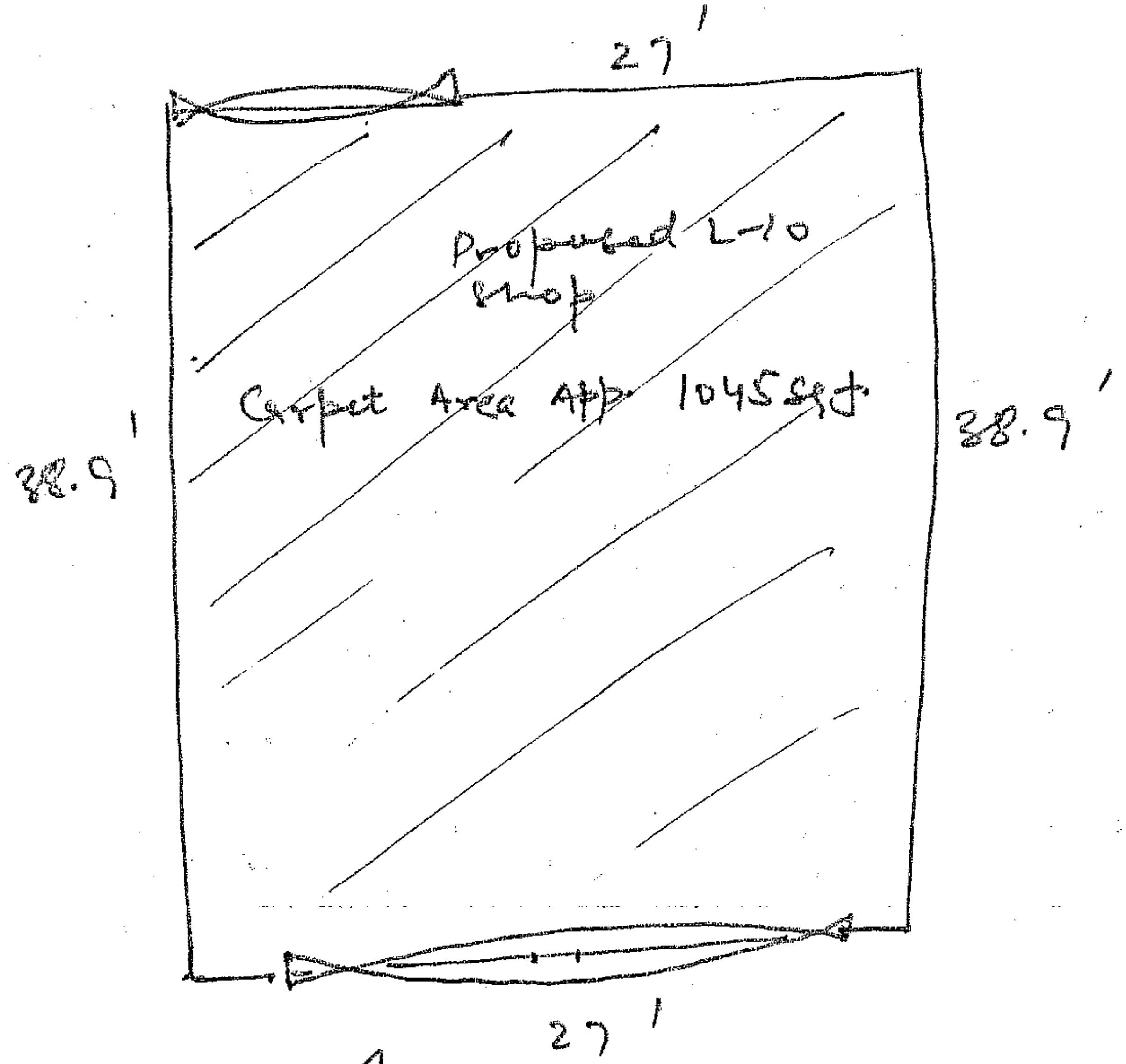

30-08-13

(AMIT BAS)
E-I.

(JAGJIT SINGH)
E-I.

(S.N. SAH)